कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर, दौसा

श्री घासी लाल मीना पुत्र श्री भोमा राम मीना निवासी ढाणी रामावाली श्यालावास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा राज0

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा

अपील संख्या 78/2023

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक 14.12.2023

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वांछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान को प्राप्त पत्रादि की छाया प्रति प्रेषित कर अपीलांट को वांछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर रिपोर्ट मंगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान से संबंधित है। लोक सूचना अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान को पत्र कमांकः डीएम/कोर्ट/2023/2168 दिनांक 14.11.2023 के द्वारा अपीलांट को वांछित सूचना अविलंब उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्रदान किये गये। लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान द्वारा पत्र कमांकः आरटीआई/2023/924 दिनांक 08.12.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि अपीलांट को वस्तुस्थिति की सूचना पत्र कमांकः आरटीआई/2023/923 दिनांक 8.12.2023 के द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है। उक्त पत्रादि की छाया प्रति पत्रावली में संलग्न है। इससे ज्ञात होता है कि अपीलांट को सूचना की वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। संबंधित को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा

जिला कलक्टर, दौसा